भारत सरकार
कार्यालय आयकर आयुक्त,
आयकर भवन, सिविल लाइन्स,
गोरखपुर

पिन–273001(उ0प्र0)
दूरभाष व फैक्स–(0551) 2334545

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(vi) के अधीन आदेश
दिनांकः 09-09-2010

संस्था/न्यास महिला एवं बाल विकास संस्थान, आजाद नगर कालोनी, गोरखपुर
पैन–AAAAM4942L

उपरोक्त विषय पर आपके आवेदन पत्र के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि संस्था/न्यास महिला एवं बाल विकास संस्थान, आजाद नगर कालोनी, गोरखपुर .को दिया गया दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80G(5)(vi) के अंतर्गत दानदाता के पक्ष में करमुक्त होगा बशर्ते कि उसकी रकम प्रावधान में निहित सीमा में हो और निम्नलिखित शर्तों का पालन किया गया हो।

1– दानदाता को जारी की जाने वाली रसीद में इस आदेश की संख्या और तारीख व करमुक्ति किस कर निर्धारण वर्ष (वित्तीय वर्ष) से देय है, स्पष्ट लिखा हो ।

2– आय एवं व्यय के हिसाब का वार्षिक विवरण संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के पास निश्चित रूप से प्रस्तुत किया जाये ।

3– यह कर मुक्ति कर निर्धारण वर्ष 2010-11 (वित्तीय वर्ष 2009-10) से कर निर्धारण वर्ष 2011-12 (वित्तीय वर्ष 2010-11) तक दो वर्ष के लिए देय है ।

ह0
(डी0 एन0 मिश्र)
आयकर आयुक्त, गोरखपुर

फा0सं0: आ0आ0/गो0/80जी/2010-11/77 | 1126

दिनांकः 09-09-2010

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

✓1– श्रीमान् सचिव/अध्यक्ष, संस्था/न्यास महिला एवं बाल विकास संस्थान, आजाद नगर कालोनी, गोरखपुर । संस्था/न्यास के द्वारा आवेदन पत्र वित्तीय वर्ष 2009-10 में प्रस्तुत किया गया था, अतः यह कर मुक्ति कर निर्धारण वर्ष 2010-11 अर्थात वित्तीय वर्ष 2009-10 से देय है ।

(i) संस्था/न्यास को यह सुनिश्चित करना होगा कि संस्था/न्यास की प्रत्येक कर निर्धारण वर्ष की आयकर विवरणी, वार्षिक आय-व्यय के अभिलेखों की प्रति के साथ, संबंधित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में आयकर प्राविधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत जमा की जाय।

(ii) इसके अतिरिक्त यदि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था/न्यास की आयकर विवरणी की जांच के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पाई गई जो संस्था/न्यास के मूल उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत पाए गए अथवा संस्था/न्यास के किया कलाप प्रमाणिक नहीं रहे तो, आयकर आयुक्त को पूर्ण अधिकार होगा कि उक्त संस्था/न्यास को पूर्व में जारी आयकर की धारा 80G(5)(vi) के अधीन मान्यता को तुरन्त प्रभाव से रद्द कर दें ।

2– अपर/संयुक्त, आयकर आयुक्त, परिक्षेत्र–1, गोरखपुर

3– आयकर अधिकारी, वार्ड–1(1) गोरखपुर को जो उपरोक्त संस्था/न्यास के आय एवं व्यय के वार्षिक लेखों की जांच करें जो कि बोर्ड के आदेश संख्या 3/फा0सं 367/175/47/70/आई0टी0ए0 दिनांक 09-10-1972 के अनुसार सालाना प्रस्तुत करेंगे और यह सुनिश्चित करें कि निर्धारिती प्रत्येक वर्ष आयकर विवरणी समय से दाखिल कर रहा है। असके अतिरिक्त आयकर विवरणी की जांच करने पर यदि निर्धारण अधिकारी द्वारा संस्था/न्यास के वार्षिक आय-व्यय लेखों में किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है जो संस्था/न्यास के मूलभूत उद्देश्यों से भिन्न अथवा असंगत है या संस्था/न्यास के कार्य कलाप प्रमाणिक नहीं है तो उसकी आख्या अपनी टिप्पणी सहित अपनी परिक्षेत्र के अपर/संयुक्त आयकर आयुक्त के माध्यम से यथा समय इस कार्यालय को भेजना सुनिश्चित करें ताकि नियमानुसार आयकर आयुक्त द्वारा प्रदत्त आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80G(5)(vi) के अधीन मान्यता रद्द की जा सके।

(एस0 के0 पाण्डेय)
आयकर अधिकारी–तक0
कृते आयकर आयुक्त, गोरखपुर

आयकर आयुक्त
गोरखपुर

सचिव
महिला एवं बाल विकास संस्थान
कमला भवन, रामजानकी नगर, ब्लाक–A
बशारतपुर, गोरखपुर (उ0 प्र0)